



## अनुसंधान प्रश्न

“भारतीय कानून के तहत चिकित्सकीय लापरवाही क्या मानी जाती है, भारतीय अदालतें बोलम टेस्ट कैसे लागू करती हैं, उपभोक्ता फोरम और आपराधिक कानून के जरिए क्या उपाय हैं, और मुआवजे पर अदालतों ने क्या सिद्धांत तय किए हैं?”

## भारतीय कानून के तहत चिकित्सकीय लापरवाही के मानक, बोलम टेस्ट के अनुप्रयोग, उपलब्ध कानूनी उपचार एवं मुआवजे के सिद्धांतों का विश्लेषण

## सारांश

भारतीय कानून के तहत चिकित्सकीय लापरवाही को निर्धारित करने के लिए 'बोलम टेस्ट' (Bolam Test) प्राथमिक मानक है, जिसके अनुसार यदि एक चिकित्सक अपने क्षेत्र के किसी जिम्मेदार चिकित्सा निकाय द्वारा स्वीकृत मानक प्रोटोकॉल के अनुसार कार्य करता है, तो उसे लापरवाह नहीं माना जा सकता। सर्वोच्च न्यायालय ने *Jacob Mathew v. State of Punjab* (2005) में स्पष्ट किया है कि दीवानी और आपराधिक लापरवाही के मानकों में गंभीर अंतर है; आपराधिक कानून (विशेष रूप से धारा 304A IPC/BNS) के तहत चिकित्सक को उत्तरदायी ठहराने के लिए 'घोर लापरवाही' (Gross Negligence) और आपराधिक मंशा (Mens Rea) का होना अनिवार्य है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत पीड़ित त्वरित दीवानी मुआवजे की मांग कर सकते हैं, जहां मुआवजा 'पूर्ण बहाली' (Restitutio in Integrum) और 'न्यायसंगत मुआवजे' (Just Compensation) के सिद्धांतों पर आधारित होता है।

| सत्यापित मुकदमे                        | संविधियाँ | नवीनतम निर्णय          |
|----------------------------------------|-----------|------------------------|
| 25                                     | 4         | 2024                   |
| 16 उच्च न्यायालय • 9 सर्वोच्च न्यायालय |           | Supreme Court of India |

## विषय-सूची

|                       |   |
|-----------------------|---|
| I. विस्तृत विश्लेषण   | 2 |
| II. सांविधिक प्रावधान | 4 |
| III. चर्चित मुकदमे    | 6 |
| IV. मुकदमे का विवरण   | 8 |

Vitark AI द्वारा तैयार • अत्यंत गोपनीय • उपयोग से पहले उद्धरण सत्यापित करें

## I. विस्तृत विश्लेषण

### मुख्य सिद्धांत

#### 01 चिकित्सकीय लापरवाही के आवश्यक तत्व

लापरवाही को सिद्ध करने के लिए तीन तत्वों का होना अनिवार्य है: (1) मरीज के प्रति देखभाल का कर्तव्य (Duty of Care), (2) उस कर्तव्य का उल्लंघन (Breach of Duty), और (3) उल्लंघन के प्रत्यक्ष परिणाम के रूप में हुई क्षति (Resulting Damage), *Dr. (Mrs.) Chanda Rani Akhouri & Ors. v. Dr. M.A. Methusethupathi & Ors.* (2022)।

#### 02 बोलम टेस्ट का भारतीय मानक

चिकित्सकीय लापरवाही के निर्धारण का पैमाना 'क्लापहम ओम्निबस' (साधारण व्यक्ति) का नहीं बल्कि उस विशिष्ट चिकित्सा क्षेत्र के एक 'सामान्य रूप से कुशल' (Reasonably Competent) डॉक्टर का होता है; डॉक्टर को सर्वोच्च विशेषज्ञता रखने की आवश्यकता नहीं है, *Samira Kohli v. Dr. Prabha Manchanda & Anr.* (2008)।

#### 03 आपराधिक दायित्व के लिए 'घोर लापरवाही' (Gross Negligence) का होना अनिवार्य है

आपराधिक कानून (IPC की धारा 304A) के तहत किसी डॉक्टर को साधारण उपेक्षा या मात्र निर्णय की त्रुटि के लिए उत्तरदायी नहीं बनाया जा सकता; लापरवाही का स्तर इतना उच्च होना चाहिए जो मानव जीवन और सुरक्षा के प्रति घोर उपेक्षा को दर्शाए, *Dr. Prasanna Sudhakar Rao Deshmukh v. State of Maharashtra* (2009)।

#### 04 मुआवजे के लिए 'पूर्ण बहाली' (Restitutio in Integrum) का सिद्धांत

सिविल और उपभोक्ता फोरम में मुआवजे का उद्देश्य पीड़ित को वित्तीय रूप से उसी स्थिति में वापस लाना है जिसमें वह लापरवाही न होने पर होता, जिसके लिए पीड़ित की भविष्य की आय और मुद्रास्फीति को ध्यान में रखा जाता है, *Jyoti Devi v. Suket Hospital & Ors.* (2024)।

### न्यायालयों ने इसे कैसे लागू किया

#### सर्वोच्च न्यायालय का दृष्टिकोण

सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई डॉक्टर स्वीकृत चिकित्सा प्रणालियों में से किसी एक उचित विकल्प को चुनता है, तो केवल उपचार के असफल होने या विपरीत परिणाम आने से उसे लापरवाह नहीं माना जा सकता, *Arun Kumar Manglik v. Chirayu Health and Medicare Private Ltd.* (2019)। इसके अतिरिक्त, न्यायालय ने *Dr. Balram Prasad v. Dr. Kunal Saha* (2013) में मुआवजे की गणना के लिए 'गुणाकार पद्धति' (Multiplier Method) को खारिज करते हुए पीड़ित की विशिष्ट पृष्ठभूमि, भविष्य की संभावनाओं और मुद्रास्फीति के आधार पर ऐतिहासिक मुआवजा प्रदान किया।

#### उच्च न्यायालय की भिन्नताएँ

विभिन्न उच्च न्यायालयों ने स्थापित किया है कि चिकित्सा पेशेवरों को आपराधिक रूप से प्रताड़ित करने से बचाने के लिए, पुलिस या मजिस्ट्रेट तब तक कोई FIR या शिकायत दर्ज नहीं कर सकते जब तक कि किसी स्वतंत्र सरकारी डॉक्टर की विशेषज्ञ रिपोर्ट (जो बोलम टेस्ट को लागू करती हो) से लापरवाही के प्रथम दृष्टया साक्ष्य न मिलें, *Dr. Rajratan Mahadeorao Moon v. State of Maharashtra* (2020) और *Sandeep Singh Yadav v. State of Madhya Pradesh* (2023)।

#### हाल का विकास

हालिया निर्णयों में न्यायालयों ने डॉक्टरों की सुरक्षा और मरीजों के अधिकारों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश की है। *Ramkanwari v. State of Rajasthan* (2024) में यह स्पष्ट किया गया कि यदि पुलिस नकारात्मक अंतिम रिपोर्ट (FR) पेश करती है, तो मजिस्ट्रेट बिना ठोस विशेषज्ञ चिकित्सा राय और न्यायिक कारणों के डॉक्टरों के खिलाफ आपराधिक संज्ञान नहीं ले सकते।

## II. सांविधिक प्रावधान 4 प्रावधान

### SECTION 1, CONSUMER PROTECTION ACT, 1986 — SHORT TITLE, EXTENT, COMMENCEMENT AND APPLICATIONS

यह प्रावधान उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के संक्षिप्त शीर्षक, भौगोलिक विस्तार, प्रारंभ और सामान्य प्रयोज्यता को रेखांकित करता है।

"(1) This Act may be called the Consumer Protection Act, 1986.\n(2) It extends to the whole of India except the State of Jammu and Kashmir.\n(4) Save as otherwise expressly provided by the Central Government by notifications, this Act shall apply to all goods and services." उद्धृत: research प्रश्न में उठाया गया

### SECTION 1, CONSUMER PROTECTION ACT, 2019 — SHORT TITLE, EXTENT, COMMENCEMENT AND APPLICATION

यह प्रावधान उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के प्रारंभिक अनुप्रयोग विवरण, विस्तार और प्रारंभ को स्थापित करता है।

"(1) This Act may be called the Consumer Protection Act, 2019.\n(2) It extends to the whole of India except the State of Jammu and Kashmir.\n(4) Save as otherwise expressly provided by the Central Government, by notification, this Act shall apply to all goods and services." उद्धृत: research प्रश्न में उठाया गया

### SECTION 286, BHARATIYA NYAYA SANHITA, 2023 — NEGLIGENT CONDUCT WITH RESPECT TO POISONOUS SUBSTANCE

यह प्रावधान मानव जीवन को खतरे में डालने वाले या चोट पहुंचाने वाले जहरीले पदार्थों से जुड़े उतावलेपन या लापरवाहीपूर्ण कृत्यों या चूकों के लिए आपराधिक दायित्व और सजा निर्धारित करता है।

"Whoever does, with any poisonous substance, any act in a manner so rash or negligent as to endanger human life, or to be likely to cause hurt or injury to any person or knowingly or negligently omits to take such order with any poisonous substance in his possession as is sufficient to guard against any probable danger to human life from such poisonous substance, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to six months, or with fine which may extend to five thousand rupees, or with both." उद्धृत: research प्रश्न में उठाया गया

**SECTION 1A, FATAL ACCIDENTS ACT, 1855 — SUIT FOR COMPENSATION TO THE FAMILY OF A PERSON FOR LOSS OCCASIONED TO IT BY HIS DEATH BY ACTIONABLE WRONG**

यह धारा किसी व्यक्ति की मृत्यु दोषपूर्ण कृत्य, उपेक्षा या चूक के कारण होने पर उसके परिवार के सदस्यों को हर्जाने के लिए मुकदमा दायर करने और मुआवजे की मांग करने की अनुमति देती है।

"Whenever the death of a person shall be caused by wrongful act, neglect or default, and the act, neglect or default is such as would (if death had not ensued) have entitled the party injured to maintain an action and recover damages in respect thereof, the party who would have been liable if death had not ensued shall be liable to an action or suit for damages, notwithstanding the death of the person injured, and although the death shall have been caused under such circumstances as amount in law to felony or other crime. Every such action or suit shall be for the benefit of the wife, husband, parent and child, if any, of the person whose death shall have been so caused, and shall be brought by and in the name of the executor, administrator or representative of the person deceased; and in every such action the Court may give such damages as it may think proportioned to the loss resulting from such death to the parties respectively" उद्धृत: research प्रश्न में उठाया गया

III. चर्चित मुकदमे

25 मुकदमे • सारणी

| #  | मुकदमा                                                                                               | न्यायालय                       | वर्ष | मुख्य निर्णय                                                                                         |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01 | <i>Dr. Mahendra Prasad Jha v. The State of Jharkhand</i><br>JHHC010179532007                         | HIGH COURT OF JHARKHAND        | 2012 | आपराधिक लापरवाही के लिए साधारण उपेक्षा नहीं, बल्कि घोर लापरवाही सिद्ध होना अनिवार्य है।              |
| 02 | <i>Martin F. D'Souza v. Mohd. Ishfaq</i><br>ESCR010007222009                                         | SUPREME COURT OF INDIA         | 2009 | डॉक्टर को केवल सामान्य रूप से कुशल और औसत दर्जे का सक्षम होना आवश्यक है।                             |
| 03 | <i>Dr. Pabitra @ Pabitra Kumar Biswas v. The State of West Bengal &amp; Anr.</i><br>WBCHCA0541332016 | CALCUTTA HIGH COURT            | 2023 | आपराधिक दायित्व के लिए लापरवाही प्रत्यक्ष कारण (Causa Causans) होनी चाहिए।                           |
| 04 | <i>Sathi Ghosh v. State of Jharkhand</i><br>JHHC010132752015                                         | HIGH COURT OF JHARKHAND        | 2017 | अस्पताल में ऑक्सीजन या रक्त की कमी जैसी प्रणालीगत विफलताओं के लिए डॉक्टर जिम्मेदार नहीं हैं।         |
| 05 | <i>Dr. Ashok Kumar Singh v. State of Bihar</i><br>BRHC010611982012                                   | PATNA HIGH COURT               | 2015 | बिना विश्वसनीय स्वतंत्र चिकित्सा राय के डॉक्टरों के विरुद्ध आपराधिक मुकदमा अवैध है।                  |
| 06 | <i>Dr. Rajratan Mahadeorao Moon v. State of Maharashtra</i><br>HCBM040199472013                      | BOMBAY HIGH COURT              | 2020 | चिकित्सकीय लापरवाही के मामलों में गिरफ्तारी और अभियोजन के लिए सख्त दिशा-निर्देशों का पालन आवश्यक है। |
| 07 | <i>Sandeep Singh Yadav v. State of Madhya Pradesh</i><br>MPHC010345622023                            | HIGH COURT OF MADHYA PRADESH   | 2023 | उपचार असफल होने मात्र से डॉक्टरों के खिलाफ मनमाने ढंग से FIR नहीं की जा सकती।                        |
| 08 | <i>Arun Kumar Manglik v. Chirayu Health and Medicare Private Ltd.</i><br>ESCR010006272019            | SUPREME COURT OF INDIA         | 2019 | बोलम टेस्ट के मानक को आधुनिक चिकित्सा प्रोटोकॉल और तार्किक आधार पर परखा जाना चाहिए।                  |
| 09 | <i>Jacob Mathew v. State of Punjab</i><br>ESCR010003522005                                           | SUPREME COURT OF INDIA         | 2005 | भारत में बोलम टेस्ट को मान्यता दी गई तथा डॉक्टरों के संरक्षण के लिए दिशानिर्देश जारी किए गए।         |
| 10 | <i>Shajil C.V. v. State of Kerala</i><br>KLHC010840652019                                            | HIGH COURT OF KERALA           | 2019 | आपराधिक लापरवाही के लिए आरोपी का कृत्य गंभीर उपेक्षा और सुरक्षा के प्रति घोर अनादर वाला होना चाहिए।  |
| 11 | <i>Samira Kohli v. Dr. Prabha Manchanda &amp; Anr.</i><br>ESCR010008192008                           | SUPREME COURT OF INDIA         | 2008 | बिना मरीज की वास्तविक सहमति के अतिरिक्त अंग निकालना गंभीर लापरवाही और 'बैटरी' है।                    |
| 12 | <i>State of H.P. v. Shyam Singh</i><br>HPHC010036892001                                              | HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH | 2008 | उपचार के ज्ञात और सामान्य दुष्परिणामों (जैसे वैक्सीन के दुष्प्रभाव) को लापरवाही नहीं माना जा सकता।   |
| 13 | <i>Dr. Prasanna Sudhakar Rao Deshmukh v. State of Maharashtra</i><br>HCBM030007392009                | BOMBAY HIGH COURT              | 2009 | यदि योग्य डॉक्टर स्थापित प्रोटोकॉल के अनुसार इलाज करता है, तो आपराधिक शिकायत रद्द होगी।              |
| 14 | <i>State of Kerala v. Illath Narayanan</i><br>KLHC010001842003                                       | HIGH COURT OF KERALA           | 2010 | परिवार नियोजन (नसबंदी) के असफल होने मात्र से डॉक्टर को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता।                |

| #  | मुकदमा                                                                                                      | न्यायालय                         | वर्ष | मुख्य निर्णय                                                                                               |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15 | <i>Malay Kumar Ganguly v. Dr. Sukumar Mukherjee and Others</i><br>ESCR010001982009                          | SUPREME COURT OF INDIA           | 2009 | आपराधिक कानून में संचयी प्रभाव (Cumulative Effect) के आधार पर लापरवाही तय नहीं की जा सकती।                 |
| 16 | <i>Jyoti Devi v. Suket Hospital &amp; Ors.</i><br>ESCR010002382024                                          | SUPREME COURT OF INDIA           | 2024 | ऑपरेशन के बाद पेट में सुई छोड़ना गंभीर लापरवाही है और पर्याप्त मुआवजे की हकदार है।                         |
| 17 | <i>Vinod Jain v. Santokba Durlabhji Memorial Hospital</i><br>ESCR010007172019                               | SUPREME COURT OF INDIA           | 2019 | डॉक्टरों के पास उपलब्ध विभिन्न उपचार विकल्पों में से एक का चयन करने की स्वतंत्रता है।                      |
| 18 | <i>Max Super Speciality Hospital v. State of Punjab</i><br>PHHC010487662015                                 | HIGH COURT OF PUNJAB AND HARYANA | 2024 | गलत चिकित्सा उपकरण के प्रत्यारोपण और उसके छिपाव के आरोपों की गंभीर जांच आवश्यक है।                         |
| 19 | <i>Dr. Ajayan v. Mrs. Moni</i><br>KLHC010566622000                                                          | HIGH COURT OF KERALA             | 2011 | स्थापित चिकित्सा पद्धतियों में से एक का पालन करने पर डॉक्टर को उत्तरदायी नहीं बनाया जा सकता।               |
| 20 | <i>Dr. Balram Prasad v. Dr. Kunal Saha</i><br>ESCR010001332013                                              | SUPREME COURT OF INDIA           | 2013 | मुआवजे की गणना में पीड़ित की जीवन प्रत्याशा, भविष्य की संभावनाएं और मुद्रास्फिति शामिल हैं।                |
| 21 | <i>Dr. K. Alamelu v. Government of Tamilnadu</i><br>HCMA011401262006                                        | MADRAS HIGH COURT                | 2009 | सामूहिक निर्णयों में बिना उचित विभागीय निष्पक्ष जांच के केवल एक डॉक्टर को दंडित करना अवैध है।              |
| 22 | <i>Pramod Yashwantrao Gurjar v. State of Maharashtra</i><br>HCBM040059502012                                | BOMBAY HIGH COURT                | 2023 | सीजेरियन प्रसव के दौरान अत्यधिक रक्तस्राव से मृत्यु को घोर लापरवाही के बिना आपराधिक नहीं माना जा सकता।     |
| 23 | <i>Dr. (Mrs.) Chanda Rani Akhouri &amp; Ors. v. Dr. M.A. Methusethupathi &amp; Ors.</i><br>ESCR010004522022 | SUPREME COURT OF INDIA           | 2022 | चिकित्सा के दौरान किसी अप्रत्याशित दुर्घटना या उपचार की विफलता को लापरवाही नहीं कहा जा सकता।               |
| 24 | <i>Ramkanwari v. State of Rajasthan</i><br>RJHC010003762024                                                 | HIGH COURT OF RAJASTHAN          | 2024 | नकारात्मक पुलिस रिपोर्ट के बाद संज्ञान लेने के लिए मजिस्ट्रेट द्वारा स्पष्ट न्यायिक कारण देना अनिवार्य है। |
| 25 | <i>Jyotindra P. Pandit v. State of Gujarat</i><br>GJHC240467652014                                          | HIGH COURT OF GUJARAT            | 2022 | सर्जरी के बाद सामान्य पोस्ट-ऑपरेटिव जटिलताएं आपराधिक लापरवाही का आधार नहीं बन सकतीं।                       |

## IV. मुकदमे का विवरण 25 केस फ़ाइलें

### 01 Dr. Mahendra Prasad Jha v. The State of Jharkhand

HIGH COURT OF JHARKHAND • 2012-09-07 • CR.REV./313/2007

यह मामला डॉक्टरों की एक टीम के खिलाफ दर्ज आपराधिक लापरवाही के मुकदमे से संबंधित है। एक सर्जरी के दौरान मरीज की मृत्यु के बाद, शिकायतकर्ता ने डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए Section 304A/34 of the Indian Penal Code के तहत मामला दर्ज कराया था। निचली अदालत ने डिस्चार्ज अर्जी खारिज कर दी थी। झारखंड उच्च न्यायालय ने कहा कि पोस्ट-मॉर्टम रिपोर्ट में कोई चिकित्सकीय लापरवाही नहीं पाई गई और मृत्यु का कारण शॉक व संक्रमण (Bacteremia and Septicaemia) बताया गया। न्यायालय ने Jacob Mathew और Kusum Sharma मामलों में सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्थापित सिद्धांतों का हवाला देते हुए कहा कि आपराधिक लापरवाही के लिए 'gross negligence' साबित होना आवश्यक है। साक्ष्यों के अभाव में, न्यायालय ने निचली अदालत के आदेश को निरस्त कर दिया और याचिकाकर्ताओं को डिस्चार्ज कर दिया।

**निर्णय** न्यायालय ने माना कि आपराधिक लापरवाही के तहत मामला दर्ज करने के लिए केवल त्रुटिपूर्ण निर्णय (error of judgment) पर्याप्त नहीं है; लापरवाही का स्तर 'घोर' (gross) होना चाहिए। चूंकि पोस्ट-मॉर्टम रिपोर्ट और साक्ष्य किसी भी तरह की घोर लापरवाही नहीं दर्शाते थे, इसलिए आरोपी डॉक्टरों के विरुद्ध आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया गया।

“II. Negligence is an essential ingredient of the offence. The negligence to be established by the prosecution must be culpable or gross and not the negligence merely based upon an error of judgment. III. The medical professional is expected to bring a reasonable degree of skill and knowledge and must exercise a reasonable degree of care. Neither the very highest nor a very low degree of care and competence judged in the light of the particular circumstances of each case is what the law requires. IV. A medical practitioner would be liable only where his conduct fell below that of the standards of a reasonably competent practitioner in his field.”

HIGH COURT OF JHARKHAND • 2012

स्रोत JHHC010179532007

### 02 Martin F. D'Souza v. Mohd. Ishfaq

SUPREME COURT OF INDIA • 2009-02-17 • 2009 INSC 197

यह मामला मेडिकल लापरवाही (medical negligence) के आरोप से संबंधित है। एक रोगी जो किडनी फेलियर से ग्रस्त था, उसने इलाज के दौरान सुनने की क्षमता खोने की शिकायत की और उपभोक्ता फोरम से मुआवजे की मांग की। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि चिकित्सक ने अपनी professionnelle क्षमता के अनुसार उचित देखभाल की थी। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि यदि कोई डॉक्टर जीवन बचाने के लिए किसी जोखिम भरे उपचार का विकल्प चुनता है, तो उसे लापरवाही का दोषी नहीं माना जा सकता, विशेषकर यदि रोगी स्वयं सहयोग न करे। इस मामले में, रोगी ने चिकित्सक की सलाह की अनदेखी कर दवा लेना जारी रखा था, जिसके कारण उसकी स्थिति बिगड़ी। न्यायालय ने कहा कि केवल उपचार विफल होने या अप्रत्याशित परिणाम आने से डॉक्टर को दोषी नहीं ठहराया जा सकता।

**निर्णय** न्यायालय ने 'बोलम नियम' को चिकित्सकीय लापरवाही निर्धारित करने का मूल आधार माना। न्यायालय ने कहा कि डॉक्टर को अपने क्षेत्र में अत्यंत उच्च कोटि के कौशल की आवश्यकता नहीं है, बल्कि एक औसत रूप से सक्षम चिकित्सक के समान कौशल और सावधानी का प्रदर्शन करना ही पर्याप्त है।

“4.2. The basic principle relating to the law of medical negligence is the Bolam Rule. The test in fixing negligence is the standard of the ordinary skilled doctor exercising and professing to have that special skill, but a doctor need not possess the highest expert skill. [Para 76] [309- C-D] Indian Medical Association vs. V.P. Shantha 1995(6) sec 651, relied on.”

SUPREME COURT OF INDIA • 2009

स्रोत ESCR010007222009

### 03 Dr. Pabitra @ Pabitra Kumar Biswas v. The State of West Bengal & Anr.

CALCUTTA HIGH COURT • 2023-05-08 • CRR/3649/2016

यह मामला एक चिकित्सक (डॉक्टर) के विरुद्ध Section 304A of the IPC के तहत दर्ज आपराधिक मामले को रद्द करने की मांग से संबंधित है। शिकायतकर्ता का आरोप था कि अस्पताल में ड्यूटी के दौरान डॉक्टर ने उनके बीमार बच्चे के इलाज में लापरवाही बरती, जिसके कारण बच्चे की मृत्यु हो गई। निचली अदालत और Sessions Judge ने आरोपी की Section 258 of the Cr.P.C के तहत कार्यवाही रोकने की याचिका खारिज कर दी थी। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने Jacob Mathew v. State of Punjab मामले में Supreme Court द्वारा निर्धारित सिद्धांतों का संदर्भ देते हुए यह स्पष्ट किया कि चिकित्सकीय लापरवाही के लिए क्या मानक होने चाहिए। न्यायालय ने मामले की परिस्थितियों और साक्ष्यों का विश्लेषण करते हुए निर्णय लिया कि क्या डॉक्टर के विरुद्ध मुकदमा चलाने के लिए प्रथम दृष्टया साक्ष्य पर्याप्त हैं।

**निर्णय** न्यायालय ने स्थापित किया कि धारा 304A IPC के तहत आपराधिक दायित्व तय करने के लिए यह आवश्यक है कि मृत्यु डॉक्टर के सीधे लापरवाहीपूर्ण कृत्य का परिणाम हो, जिसे 'Causa Causans' (मुख्य और प्रत्यक्ष कारण) होना चाहिए, न कि मात्र 'Causa sine qua non' (एक अप्रत्यक्ष कारक)।

“To impose criminal liability under Section 304-A, Indian Penal Code, it is necessary that the death should have been the direct result of a rash and negligent act of the accused and that act must be the proximate and efficient cause without the intervention of another's negligence. It must be the causa causans; it is not enough that it may have been the causa sine qua non.”

CALCUTTA HIGH COURT • 2023

स्रोत WBCHCA0541332016

### 04 Sathi Ghosh v. State of Jharkhand

HIGH COURT OF JHARKHAND • 2017-03-01 • CR.M.P./1639/2015

यह मामला एक महिला डॉक्टर द्वारा Section 304(A) of the Indian Penal Code के तहत दर्ज आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने की मांग से संबंधित है। आरोप था कि प्रसव के दौरान अत्यधिक रक्तस्राव से मरीज की मृत्यु हो गई, जिसे लापरवाही माना गया। हालांकि, न्यायालय ने पाया कि डॉक्टर ने आपातकालीन स्थिति में उचित प्रक्रिया का पालन किया था और अस्पताल में रक्त की अनुपलब्धता एक प्रणालीगत समस्या थी, न कि डॉक्टर की आपराधिक लापरवाही। Jacob Mathew v. State of Punjab के सिद्धांतों का उल्लेख करते हुए, न्यायालय ने कहा कि व्यावसायिक जोखिम को आपराधिक लापरवाही नहीं माना जा सकता। चूंकि प्राथमिक साक्ष्य अपराध के गठन को सिद्ध नहीं करते थे, इसलिए न्यायालय ने कार्यवाही को न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग मानते हुए रद्द कर दिया।

**निर्णय** न्यायालय ने माना कि अस्पताल में संसाधनों (जैसे ऑक्सीजन सिलेंडर या ब्लड बैंक) की कमी के लिए इलाज करने वाले डॉक्टर पर आपराधिक मामला नहीं चलाया जा सकता। डॉक्टर के खिलाफ आपराधिक लापरवाही का मामला चलाने के लिए प्रथम दृष्टया घोर लापरवाही का होना आवश्यक है, जो कि यहाँ अनुपस्थित था।

“It is a case of non-availability of oxygen cylinder either because of the hospital having failed to keep available a gas cylinder or because of the gas cylinder being found empty. Then, probably the hospital may be liable in civil law (or may not be — we express no opinion thereon) but the accused-appellant cannot be proceeded against under Section 304-A IPC on the parameters of the Bolam,s test.””

HIGH COURT OF JHARKHAND • 2017

स्रोत JHHC010132752015

## 05 Dr. Ashok Kumar Singh v. State of Bihar

PATNA HIGH COURT • 2015-05-18 • CR. MISC./40712/2012

यह मामला चिकित्सा लापरवाही के आरोपों से संबंधित है, जहाँ शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि याचिकाकर्ता डॉक्टरों द्वारा हर्निया के ऑपरेशन के दौरान बरती गई लापरवाही के कारण उसके भाई की मृत्यु हो गई। निचली अदालत ने Section 304-A और 420 (read with 34) of the Indian Penal Code के तहत मामला दर्ज करने का आदेश दिया था। उच्च न्यायालय ने पाया कि Section 420 के तहत धोखाधड़ी का कोई मामला नहीं बनता है और चिकित्सा लापरवाही के लिए कोई विशेषज्ञ रिपोर्ट उपलब्ध नहीं थी। न्यायालय ने माना कि चिकित्सा पेशेवरों के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही शुरू करने के लिए प्रथम दृष्टया साक्ष्य का अभाव है और डॉक्टरों द्वारा की गई कार्रवाई Sections 80, 81, और 88 of the Indian Penal Code के तहत सुरक्षा के दायरे में आ सकती है। तदनुसार, उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं के खिलाफ निचली अदालत के आदेश को निरस्त कर दिया।

**निर्णय** पटना उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि डॉक्टरों को आपराधिक रूप से दंडित करने के लिए अभियोजन को यह सिद्ध करना होगा कि डॉक्टर ने ऐसा कृत्य किया जिसे कोई भी विवेकशील चिकित्सा पेशेवर सामान्य परिस्थितियों में कभी नहीं करता।

“To prosecute a medical professional for negligence under Criminal Law it must be shown that the accused did something or failed to do something which in the given facts and circumstances, no medical professional in his ordinary senses or prudence would have done or failed to do. The hazard taken by the accused doctor should be of such a nature that the injury which resulted or most likely imminent.””

PATNA HIGH COURT • 2015

स्रोत BRHC010611982012

## 06 Dr. Rajratan Mahadeorao Moon v. State of Maharashtra

BOMBAY HIGH COURT • 2020-10-28 • APL/509/2013

यह मामला एक डॉक्टर और उनके ड्राइवर द्वारा दायर की गई याचिकाओं से संबंधित है, जिसमें उनके खिलाफ दर्ज एक FIR को चुनौती दी गई थी। FIR के अनुसार, डॉक्टर द्वारा गर्भपात (abortion) किए जाने के बाद मरीज की मृत्यु हो गई थी, जिसके कारण उन पर Indian Penal Code की विभिन्न धाराओं और Medical Termination of Pregnancy Act, 1971 के तहत मामला दर्ज किया गया था। न्यायालय ने Jacob Mathew v. State of Punjab मामले में Supreme Court द्वारा निर्धारित सिद्धांतों का पालन किया। कोर्ट ने कहा कि चिकित्सा पेशेवरों के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही शुरू करने से पहले अत्यधिक सावधानी बरतनी चाहिए। चूंकि अभियोजन पक्ष यह साबित करने में विफल रहा कि डॉक्टर की ओर से घोर लापरवाही (gross negligence) थी, इसलिए कार्यवाही को कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग मानते हुए न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं के पक्ष में निर्णय सुनाया और FIR रद्द कर दी।

**निर्णय** न्यायालय ने निर्देश दिया कि डॉक्टरों के खिलाफ किसी भी आपराधिक शिकायत को तब तक स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि शिकायतकर्ता किसी अन्य स्वतंत्र विशेषज्ञ डॉक्टर की विश्वसनीय चिकित्सा रिपोर्ट प्रस्तुत न करे। इसके अलावा, पुलिस को मामले में सरकारी डॉक्टर की निष्पक्ष राय प्राप्त करनी चाहिए।

“The investigating officer should, before proceeding against the doctor accused of rash or negligent act or omission, obtain an independent and competent medical opinion preferably from a doctor in government service qualified in that branch of medical practice who can normally be expected to give an impartial and unbiased opinion applying Bolam's test to the facts collected in the investigation.”

BOMBAY HIGH COURT • 2020

स्रोत HCBM040199472013

## 07 Sandeep Singh Yadav v. State of Madhya Pradesh

HIGH COURT OF MADHYA PRADESH • 2023-07-01 • WP/14012/2023

यह याचिका चिकित्सा लापरवाही (medical negligence) के आरोपों की जांच करने और डॉक्टरों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के लिए पुलिस को निर्देश देने हेतु दायर की गई थी। न्यायालय ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों का हवाला देते हुए स्पष्ट किया कि डॉक्टरों को उनके पेशेवर कर्तव्यों के निर्वहन में अनावश्यक उत्पीड़न से बचाने के लिए कानूनी सुरक्षा प्राप्त है। चूंकि याचिकाकर्ता ने ऐसा कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया था जो प्रथम दृष्टया चिकित्सा लापरवाही को साबित करता हो, इसलिए न्यायालय ने पुलिस को जांच या प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश देने से इनकार कर दिया। न्यायालय ने कहा कि जब तक लापरवाही का मामला 'gross' न हो, तब तक चिकित्सा पेशेवरों के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही शुरू नहीं की जा सकती।

**निर्णय** मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने दोहराया कि "कानून एक प्रहरी (watchdog) है, शिकारी कुत्ता (bloodhound) नहीं"। जब तक डॉक्टर अपनी ड्यूटी उचित सावधानी के साथ करते हैं, तब तक उन्हें उपचार के असफल होने मात्र के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता।

“The law is a watchdog, and not a bloodhound, and as long as doctors do their duty with reasonable care they will not be held liable even if their treatment was unsuccessful. ... The decision of this Court in Indian Medical Assn. v. V.P. Shantha [(1995) 6 SCC 651] should not be understood to mean that doctors should be harassed merely because their treatment was unsuccessful”

HIGH COURT OF MADHYA PRADESH • 2023

स्रोत MPHC010345622023

## 08 Arun Kumar Manglik v. Chirayu Health and Medicare Private Ltd.

SUPREME COURT OF INDIA • 2019-01-09 • 2019 INSC 43

यह मामला मेडिकल लापरवाही से संबंधित है। अपीलकर्ता की पत्नी को डेंगू के इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उचित निगरानी के अभाव में उनकी मृत्यु हो गई। अदालत ने माना कि अस्पताल ने WHO और अन्य निर्धारित दिशानिर्देशों का पालन नहीं किया, जिससे 'Bolam test' के तहत उचित देखभाल का मानक पूरा नहीं हुआ। हालांकि, अस्पताल के निदेशक को व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी नहीं माना गया क्योंकि वे इलाज करने वाले डॉक्टर नहीं थे। सुप्रीम कोर्ट ने अस्पताल को लापरवाही का दोषी पाया और मुआवजे की राशि को बढ़ाकर 15 लाख रुपये कर दिया। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि गैर-कार्यशील (गृहणी) जीवनसाथी का परिवार में योगदान आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण है और इसे मुआवजे की गणना में शामिल किया जाना चाहिए।

**निर्णय** न्यायालय ने माना कि बोलम टेस्ट का अनुप्रयोग समय के साथ भारतीय और विदेशी न्यायालयों में विकसित हुआ है। न्यायालय को केवल यह नहीं देखना चाहिए कि डॉक्टरों के किसी समूह ने उस उपचार का समर्थन किया है, बल्कि यह भी जांचना चाहिए कि क्या वह दृष्टिकोण तार्किक रूप से सुदृढ़ और जोखिम-लाभ विश्लेषण पर खरा उतरता है।

“the standard of care as enunciated in Bolam (supra) must evolve in consonance with its subsequent interpretation adopted by English and Indian courts. ... in Bolitho v City and Hackney Health Authority, the House of Lords held that the course adopted by the medical practitioner must stand a test to reason”

SUPREME COURT OF INDIA • 2019

स्रोत ESCR010006272019

## 09 Jacob Mathew v. State of Punjab

SUPREME COURT OF INDIA • 2005-08-05 • 2005 INSC 334

यह मामला चिकित्सा लापरवाही (medical negligence) से संबंधित है, जहाँ एक मरीज की अस्पताल में ऑक्सीजन सिलेंडर खाली होने के कारण मृत्यु हो गई थी। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि दीवानी (civil) और आपराधिक (criminal) कानून में लापरवाही के मानक अलग हैं। आपराधिक कानून के तहत डॉक्टर को दोषी ठहराने के लिए 'gross negligence' या उच्च स्तर की लापरवाही साबित करना आवश्यक है, जिसमें mens rea (आपराधिक मंशा) का तत्व होना चाहिए। न्यायालय ने 'Bolam test' को भारत में लागू करने की पुष्टि की और डॉक्टरों को अनावश्यक उत्पीड़न से बचाने के लिए गिरफ्तारी और अभियोजन से संबंधित व्यापक दिशानिर्देश जारी किए। अंततः, न्यायालय ने आरोपी डॉक्टरों के खिलाफ चल रही आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया।

**निर्णय** तीन न्यायाधीशों की पीठ ने चिकित्सकीय लापरवाही से जुड़े कानूनों को संहिताबद्ध किया। कोर्ट ने कहा कि आपराधिक लापरवाही के लिए साधारण असावधानी पर्याप्त नहीं है; लापरवाही 'gross' (घोर) होनी चाहिए। इसके अलावा, डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए दिशा-निर्देश जारी किए गए ताकि वे बिना किसी भय के अपनी सेवाएँ दे सकें।

“(4) The test for determining medical negligence as laid down in Bolam 's case (1957) I W.L.R. 582, 586 holds good in its applicability in India. (5) The jurisprudential concept of 'negligence differs in civil and criminal law. ... For negligence to amount to an offence, the element of mens rea must be shown to exist. ... (6) The word 'gross' has not been used in Section 304A of IPC, yet it is settled that in criminal law negligence or recklessness, to be so held, must be of such a high degree as to be 'gross'.”

SUPREME COURT OF INDIA • 2005

स्रोत ESCR010003522005

## 10 Shajil C.V. v. State of Kerala

HIGH COURT OF KERALA • 2019-12-17 • BAIL APPL./8719/2019

यह मामला 10 वर्षीय स्कूली छात्रा की सांप के काटने से हुई दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु से संबंधित है। आरोपी शिक्षकों और डॉक्टर पर Section 304A of the IPC (लापरवाही से मृत्यु कारित करना) और Section 75 of the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015 के तहत आरोप लगाए गए थे। अभियोजन का तर्क था कि शिक्षकों ने समय पर चिकित्सा सहायता न देकर और चोट को सांप का काटना न मानकर लापरवाही की, जिससे कीमती समय बर्बाद हुआ। न्यायालय ने Kerala State Commission for Protection of Child Rights की रिपोर्ट पर विचार किया, जिसमें पाया गया कि शिक्षकों द्वारा कोई जानबूझकर लापरवाही नहीं बरती गई थी। न्यायालय ने साक्ष्यों और परिस्थितियों का आकलन करते हुए आरोपियों को जमानत दे दी।

**निर्णय** न्यायालय ने जॉन ओनी अकेरेले मामले का संदर्भ देते हुए कहा कि मुआवजे के लिए आवश्यक लापरवाही और आपराधिक दायित्व के लिए आवश्यक लापरवाही के स्तर में गुणात्मक अंतर है। आपराधिक कानून के तहत सजा केवल तभी दी जा सकती है जब लापरवाही का स्तर अत्यधिक गंभीर हो।

“(i) That a doctor is not criminally responsible for a patient's death unless his negligence or incompetence went beyond a mere matter of compensation between subjects and showed such disregard for life and safety of others as to amount to a crime against the State.; (ii) That the degree of negligence required is that it should be gross, and that neither a jury nor a court can transform negligence of a lesser degree into gross negligence merely by giving it that appellation.”

HIGH COURT OF KERALA • 2019

स्रोत KLHC010840652019

## 11 Samira Kohli v. Dr. Prabha Manchanda & Anr.

SUPREME COURT OF INDIA • 2008-01-16 • 2008 INSC 56

यह मामला चिकित्सीय लापरवाही और रोगी की सहमति से संबंधित है। वादी, एक महिला, केवल डायग्नोस्टिक लैप्रोस्कोपी के लिए क्लिनिक गई थी, लेकिन बेहोशी की स्थिति में डॉक्टर ने उसकी सहमति के बिना गर्भाशय और अंडाशय को हटाने की रेडिकल सर्जरी कर दी। न्यायालय ने निर्धारित किया कि रोगी के शरीर पर उसका अधिकार अनुलंघनीय है। डायग्नोस्टिक प्रक्रिया के लिए दी गई सहमति को चिकित्सीय या सर्जरी के लिए सहमति नहीं माना जा सकता है, जब तक कि जीवन बचाने जैसी आपातकालीन स्थिति न हो। न्यायालय ने डॉक्टर के कृत्य को 'Battery' और 'deficiency in service' माना और वादी को हर्जाना देने का आदेश दिया।

**निर्णय** सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि भारत में 'सहमति' (Informed Consent) का प्रकटीकरण बोलम टेस्ट के दायरे में ही होना चाहिए, न कि अत्यधिक कड़े अमेरिकी मानकों पर। हालांकि, बिना मरीज की पूर्व सहमति के (आपातकालीन स्थितियों को छोड़कर) किए गए किसी भी अतिरिक्त अंग निष्कासन को चिकित्सकीय लापरवाही और शारीरिक अधिकारों का उल्लंघन माना जाएगा।

“Unless the unauthorized additional or further procedure is necessary in order to save the life or preserve the health of the patient and it would be unreasonable (as contrasted from being merely inconvenient) to delay the further procedure until the patient regains consciousness and takes a decision, a doctor cannot perform such procedure without the consent of the patient.”

SUPREME COURT OF INDIA • 2008

स्रोत ESCR010008192008

## 12 State of H.P. v. Shyam Singh

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH • 2008-04-04 • RFA/232/2001

यह मामला अस्पताल द्वारा दी गई एंटी-रेबीज वैक्सीन के प्रतिकूल प्रभाव से लकवाग्रस्त हुए एक मरीज से संबंधित है। वादी (respondent) को कुत्ते के काटने के बाद सरकारी अस्पताल में इंजेक्शन दिए गए थे, जिसके परिणामस्वरूप उसे पैरापलेजिया (paraplegia) हो गया। निचली अदालत ने इसे चिकित्सकीय लापरवाही मानते हुए राज्य को हर्जाना देने का आदेश दिया था। उच्च न्यायालय ने मामले की सुनवाई करते हुए पाया कि प्रतिवादी द्वारा दी गई दवा के दुष्प्रभाव एक ज्ञात चिकित्सा जोखिम हैं और यह सिद्ध नहीं हुआ कि उपचार में कोई लापरवाही बरती गई थी। तदनुसार, न्यायालय ने निचली अदालत के निर्णय को पलट दिया और राज्य की अपील स्वीकार कर ली।

**निर्णय** न्यायालय ने माना कि जब तक कोई डॉक्टर स्थापित और स्वीकृत प्रणाली के तहत काम करता है, तब तक उपचार के किसी अनपेक्षित दुष्प्रभाव या दुर्घटना को लापरवाही नहीं माना जा सकता। दुर्घटनाओं को लापरवाही की श्रेणी में शामिल करने से बचना चाहिए।

“Ordinarily, an accident means an unintended and unforeseen injurious occurrence; something that does not occur in the usual course of events or that could not be reasonably anticipated... Care has to be taken to see that the result of an accident which is exculpatory may not persuade the human mind to confuse it with the consequence of negligence.””

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH • 2008

स्रोत HPHC010036892001

### 13 Dr. Prasanna Sudhakar Rao Deshmukh v. State of Maharashtra

BOMBAY HIGH COURT • 2009-06-25 • WP/21/2009

यह मामला एक चिकित्सक और उनके कर्मचारियों के खिलाफ चिकित्सा लापरवाही (medical negligence) के आधार पर दर्ज FIR को रद्द करने से संबंधित है। एक मरीज की 'quinine' इंजेक्शन के बाद मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद डॉक्टरों पर Indian Penal Code की Section 304-A, 201 और 34 के तहत आपराधिक मामला दर्ज किया गया। याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि चिकित्सा प्रक्रिया मानक थी और कोई भी संभावित लापरवाही केवल सिविल दायित्व का विषय हो सकती है, न कि आपराधिक। उच्च न्यायालय ने माना कि आपराधिक लापरवाही के लिए 'gross negligence' का होना अनिवार्य है। यदि उपचार का तरीका सही था और डॉक्टर योग्य थे, तो मात्र निर्णय की त्रुटि या दुर्घटना को आपराधिक कृत्य नहीं माना जा सकता, इसलिए न्यायालय ने कार्यवाही को रद्द करने का आदेश दिया।

**निर्णय** न्यायालय ने माना कि आरोपी डॉक्टर योग्य थे और उन्होंने मलेरिया के इलाज के लिए स्वीकृत दवा 'क्विनिन' को धीरे-धीरे देने का निर्देश दिया था, जिसका ज्ञात दुष्प्रभाव कार्डियक टॉक्सिसिटी है। चूंकि चिकित्सा प्रोटोकॉल स्वीकृत था, इसलिए आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया गया।

“The standard to be applied for judging, whether the person charged has been negligent or not, would be that of an ordinary competent person exercising ordinary skill in that profession. ... For negligence to amount to an offence, the element of mens rea must be shown to exist. For an act to amount to criminal negligence, the degree of negligence should be much higher i.e gross or of a very high degree.”

BOMBAY HIGH COURT • 2009

स्रोत HCBM030007392009

### 14 State of Kerala v. Illath Narayanan

HIGH COURT OF KERALA • 2010-01-27 • AS/91/2003

यह मामला मेडिकल लापरवाही के दावे से संबंधित है। वादी (plaintiffs) ने तर्क दिया कि परिवार नियोजन शिविर में कराई गई उनकी नसबंदी (laparoscopic sterilization) विफल रही और ऑपरेशन के बाद महिला दोबारा गर्भवती हो गई, जिसे उन्होंने डॉक्टर की लापरवाही बताया। निचली अदालत ने वादी के पक्ष में निर्णय सुनाया और राज्य सरकार को हर्जाना देने का आदेश दिया था। केरल उच्च न्यायालय ने निर्णय को पलटते हुए कहा कि चिकित्सा क्षेत्र में केवल गर्भधारण का होना ही डॉक्टर की negligence का प्रमाण नहीं है। अदालत ने स्पष्ट किया कि एक चिकित्सक को तभी उत्तरदायी ठहराया जा सकता है जब वह सामान्य चिकित्सकीय मानकों का पालन करने में विफल रहा हो, और वादी इस मामले में लापरवाही साबित करने में असमर्थ रहे।

**निर्णय** न्यायालय ने माना कि चिकित्सक के कौशल स्तर में भिन्नता हो सकती है। जब तक डॉक्टर अपनी सर्वश्रेष्ठ क्षमता और स्वीकृत मानकों के अनुसार कार्य करता है, तब तक नसबंदी के असफल होने मात्र से लापरवाही का सिद्धांत लागू नहीं होता।

“In the case of a medical man, negligence means failure to act in accordance with the standards of reasonably competent medical men at the time. There may be one or more perfectly proper standards, and if he conforms with one of these proper standards, then he is not negligent.””

HIGH COURT OF KERALA • 2010

स्रोत KLHC010001842003

## 15 Malay Kumar Ganguly v. Dr. Sukumar Mukherjee and Others

SUPREME COURT OF INDIA • 2009-08-07 • 2009 INSC 1025

यह मामला मेडिकल लापरवाही (medical negligence) से संबंधित है। एक मरीज, जो Toxic Epidermal Necrolysis (TEN) से पीड़ित था, की इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। शिकायतकर्ता ने डॉक्टरों और अस्पतालों पर लापरवाही का आरोप लगाया था। न्यायालय ने निर्धारित किया कि आपराधिक लापरवाही (Section 304A of the Indian Penal Code) के लिए लापरवाही का स्तर बहुत उच्च या 'gross' होना चाहिए। न्यायालय ने माना कि प्रत्येक डॉक्टर या अस्पताल की व्यक्तिगत लापरवाही को अलग करना कठिन है और 'Doctrine of Cumulative effect' को आपराधिक कानून में लागू नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टरों द्वारा निर्धारित अत्यधिक स्टेरॉयड खुराक और अपर्याप्त नर्सिंग देखभाल को लापरवाही माना। आपराधिक अपीलों को खारिज करते हुए, न्यायालय ने दीवानी मामले को मुआवजे के निर्धारण के लिए National Consumer Commission के पास वापस भेज दिया।

**निर्णय** न्यायालय ने स्पष्ट किया कि आपराधिक कानून में 'सामूहिक प्रभाव' (Cumulative Effect) का सिद्धांत लागू नहीं होता है, क्योंकि आपराधिक दायित्व व्यक्तिगत होना चाहिए। हालांकि, नागरिक उपचार (civil action) के तहत लापरवाही के संचयी प्रभाव के कारण अस्पताल और डॉक्टर उत्तरदायी हो सकते हैं।

“The complexities involved in the instant case as also differing nature of negligence exercised by various actors, make it very difficult to distil individual extent of negligence with respect to each of the respondent. In such a scenario finding of medical negligence under section 304-A cannot be objectively determined.”

SUPREME COURT OF INDIA • 2009

स्रोत ESCR010001982009

## 16 Jyoti Devi v. Suket Hospital & Ors.

SUPREME COURT OF INDIA • 2024-04-23 • 2024 INSC 330

यह मामला मेडिकल लापरवाही (medical negligence) से संबंधित है। अपीलकर्ता की appendicitis की सर्जरी के बाद, उसके पेट में दर्द बना रहा और अंततः जांच में एक 2.5 cm की सुई (needle) मिली जिसे निकालने के लिए पुनः सर्जरी करनी पड़ी। निचली अदालतों ने इसे सेवा में कमी (deficiency in service) माना, लेकिन मुआवजे की राशि पर असहमति थी। सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि अस्पताल की लापरवाही स्पष्ट थी और NCDRC द्वारा 'eggshell skull rule' का गलत तरीके से प्रयोग किया गया था, क्योंकि यह नियम यहाँ लागू नहीं होता। न्यायालय ने मुआवजे को अपर्याप्त मानते हुए, जिला फोरम द्वारा दिए गए 5 लाख रुपये के मुआवजे को बहाल किया और प्रतिवादियों को 9% ब्याज और 50,000 रुपये का कानूनी खर्च देने का आदेश दिया।

**निर्णय** न्यायालय ने मुआवजे के निर्धारण के लिए 'just compensation' और 'restitutio in integrum' के सिद्धांतों को रेखांकित किया। मुआवजा ऐसा होना चाहिए जो पीड़ित को पर्याप्त, निष्पक्ष और न्यायसंगत राहत प्रदान करे।

“The idea of compensation is based on restitutio in integrum, which means, make good the loss suffered, so far as money is able to do so, or, in other words, take the receiver of such compensation, back to a position, as if the loss/injury suffered by them hadn't occurred.”

SUPREME COURT OF INDIA • 2024

स्रोत ESCR010002382024

## 17 Vinod Jain v. Santokba Durlabhji Memorial Hospital

SUPREME COURT OF INDIA • 2019-02-25 • 2019 INSC 266

यह मामला मेडिकल लापरवाही के दावों से संबंधित है। अपीलकर्ता की पत्नी को बुखार और संक्रमण के इलाज के लिए प्रतिवादी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अस्पताल से छुटी मिलने के कुछ दिनों बाद उनकी मृत्यु हो गई, जिसके बाद अपीलकर्ता ने उपचार में लापरवाही का आरोप लगाया। राज्य आयोग ने अस्पताल को मुआवजे का भुगतान करने का निर्देश दिया था, लेकिन राष्ट्रीय आयोग (NCDRC) ने इसे खारिज कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि एक डॉक्टर को तब तक लापरवाह नहीं माना जा सकता जब तक कि उसने सामान्य चिकित्सा प्रोटोकॉल का उल्लंघन न किया हो। न्यायालय ने माना कि प्रतिवादी ने उचित चिकित्सा कौशल का प्रयोग किया था और चिकित्सा के किसी भी विकल्प का चयन डॉक्टर के पेशेवर निर्णय का हिस्सा है। अतः, न्यायालय ने NCDRC के निर्णय को सही ठहराया और अपील खारिज कर दी।

**निर्णय** न्यायालय ने माना कि चिकित्सा जगत में उपचार के विभिन्न तरीकों पर डॉक्टरों के बीच विचारों में भिन्नता हो सकती है। केवल इसलिए कि डॉक्टर ने एक स्वीकृत दृष्टिकोण को दूसरे पर प्राथमिकता दी, उसे लापरवाही नहीं कहा जा सकता जब तक कि उसका आचरण उचित स्तर के मानक से नीचे न गिरा हो।

“In the realm of diagnosis and treatment there is scope for genuine difference of opinion and one professional doctor is clearly not negligent merely because his conclusion differs from that of other professional doctor. ... Negligence cannot be attributed to a doctor so long as he performs his duties with reasonable skill and competence.”

SUPREME COURT OF INDIA • 2019

स्रोत ESCR010007172019

## 18 Max Super Speciality Hospital v. State of Punjab

HIGH COURT OF PUNJAB AND HARYANA • 2024-03-11 • CRM-M/3458/2015

यह मामला एक आपराधिक शिकायत से संबंधित है जिसमें एक अस्पताल और डॉक्टर पर चिकित्सा लापरवाही, धोखाधड़ी (Section 420 IPC) और साजिश (Section 120B IPC) का आरोप लगाया गया था। शिकायतकर्ता का आरोप था कि अस्पताल ने उसके पति की सर्जरी के दौरान गलत और सस्ते पेसमेकर का उपयोग किया और बाद में इसे छुपाने के लिए दूसरी सर्जरी की, जिसके परिणामस्वरूप मरीज की मृत्यु हो गई। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने साक्ष्य के आधार पर आरोपियों को समन जारी किया था। अस्पताल और डॉक्टर ने इन कार्यवाही को रद्द करने के लिए Section 482 CrPC के तहत याचिका दायर की, जिसमें तर्क दिया गया कि सर्जरी दो चरणों में की गई थी और कोई लापरवाही नहीं हुई थी। उच्च न्यायालय ने मामले की गंभीरता को देखते हुए साक्ष्यों के पूर्ण परीक्षण पर जोर दिया।

**निर्णय** पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने माना कि यद्यपि बोलम नियम भारतीय न्यायशास्त्र में मानक बना हुआ है, परंतु यदि चिकित्सा उपकरणों के संबंध में धोखाधड़ी और जानबूझकर की गई उपेक्षा के गंभीर आरोप हों, तो कार्यवाही को प्रारंभिक चरण में ही रद्द नहीं किया जा सकता।

“Even though Bolam test was accepted by this Court as providing the standard norms in cases of medical negligence, in the country of its origin, it is questioned on various grounds. It has been found that the inherent danger in Bolam test is that if the courts defer too readily to expert evidence medical standards would obviously decline.”

HIGH COURT OF PUNJAB AND HARYANA • 2024

स्रोत PHHC010487662015

## 19 Dr. Ajayan v. Mrs. Moni

HIGH COURT OF KERALA • 2011-02-04 • SA/832/2000

यह मामला चिकित्सा लापरवाही (medical negligence) के आरोपों से संबंधित है। वादी ने प्रतिवादी डॉक्टर पर आरोप लगाया कि डॉक्टर ने व्यक्तिगत रंजिश के कारण उसके उपचार में लापरवाही बरती और उसे समय से पहले अस्पताल से छुट्टी दे दी, जिसके कारण उसे दूसरे अस्पताल में सर्जरी करानी पड़ी। ट्रायल कोर्ट और पहली अपील अदालत ने डॉक्टर को लापरवाही का दोषी पाया और हर्जाना देने का आदेश दिया। हालांकि, केरल उच्च न्यायालय ने साक्ष्यों का विश्लेषण करते हुए पाया कि वादी के अपने गवाहों (डॉक्टरों) ने स्वीकार किया था कि 'intussusception' का उपचार हमेशा सर्जरी ही नहीं होता और कंजर्वेटिव तरीके भी अपनाए जा सकते हैं। न्यायालय ने यह निष्कर्ष निकाला कि प्रतिवादी डॉक्टर ने स्वीकृत चिकित्सा पद्धति का पालन किया था और लापरवाही का कोई ठोस सबूत नहीं है, इसलिए दोनों निचली अदालतों के निर्णय को निरस्त कर दिया गया।

**निर्णय** न्यायालय ने स्पष्ट किया कि जब किसी बीमारी के इलाज के लिए एक से अधिक स्वीकृत प्रणालियाँ उपलब्ध हों, और डॉक्टर उनमें से एक का चयन पूरी सावधानी के साथ करता है, तो उसे लापरवाही के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता।

“Negligence cannot be attributed to a doctor so long as he performs his duties with reasonable skill and competence. Merely because the doctor chooses one course of action in preference to the other one available, he would not be liable if the course of action chosen by him was acceptable to the medical profession.”

HIGH COURT OF KERALA • 2011

स्रोत KLHC010566622000

## 20 Dr. Balram Prasad v. Dr. Kunal Saha

SUPREME COURT OF INDIA • 2013-10-24 • 2013 INSC 717

यह मामला मेडिकल लापरवाही (medical negligence) से संबंधित है, जिसमें एक भारतीय अस्पताल में इलाज के दौरान एक अमेरिकी निवासी महिला की मृत्यु हो गई थी। National Consumer Disputes Redressal Commission ने अस्पताल और डॉक्टरों को लापरवाही का दोषी माना था, लेकिन पति पर भी 'contributory negligence' का आरोप लगाकर मुआवजे में 10% की कटौती की थी। सुप्रीम कोर्ट ने पति को इस लापरवाही के आरोप से मुक्त कर दिया और स्पष्ट किया कि अदालत का कर्तव्य है कि वह पूरी तरह से न्याय करने के लिए 'just and reasonable compensation' प्रदान करे। अदालत ने 15 वर्षों की लंबी कानूनी प्रक्रिया के दौरान मुद्रास्फीति (inflation) और मृतका की भविष्य की आय क्षमता (future prospects) को ध्यान में रखते हुए मुआवजे की राशि को काफी बढ़ा दिया और अस्पताल को भुगतान का मुख्य उत्तरदायी ठहराया।

**निर्णय** सर्वोच्च न्यायालय ने लापरवाही के कारण हुई मृत्यु के मामलों में एक मील का पत्थर निर्णय देते हुए 6 करोड़ रुपये से अधिक का मुआवजा मंजूर किया। न्यायालय ने मुआवजे के निर्धारण के लिए 'गुणाकार विधि' (multiplier method) को केवल एक अनिवार्य फॉर्मूला मानने से इनकार कर दिया और पीड़ित की जीवन प्रत्याशा, भविष्य की संभावनाओं और मुद्रास्फीति की वास्तविकताओं को शामिल किया।

"Principle of just and reasonable compensation is based on 'restitutio in integrum', i.e., claimant must receive the sum of money which would put him in the same position as he would have been if he had not sustained the wrong - Court is duty bound and entitled to award just compensation"

SUPREME COURT OF INDIA • 2013

स्रोत ESCR010001332013

## 21 Dr. K. Alamelu v. Government of Tamilnadu

MADRAS HIGH COURT • 2009-10-07 • WP/32867/2006

यह मामला एक सहायक सर्जन, Dr. K. Alamelu द्वारा अपनी बर्खास्तगी के आदेश को चुनौती देने से संबंधित है। याचिकाकर्ता पर एक रोगी, श्रीमती Sakthi, की सर्जरी के दौरान लापरवाही बरतने का आरोप था, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई। सरकार ने विभागीय जाँच के निष्कर्षों के आधार पर उन्हें सेवा से बर्खास्त कर दिया था। न्यायालय ने पाया कि उसी घटना में शामिल अन्य डॉक्टरों के खिलाफ भी आरोप थे, फिर भी सरकार ने केवल याचिकाकर्ता को ही पूर्ण रूप से जिम्मेदार ठहराया और उनके खिलाफ अलग से अनुशासनात्मक कार्रवाई की। मद्रास उच्च न्यायालय ने माना कि जाँच प्रक्रिया Tamilnadu Civil Services (D & A) Rules के अनुरूप नहीं थी और सरकार का यह निर्णय कि केवल याचिकाकर्ता ही पूरी तरह जिम्मेदार थी, त्रुटिपूर्ण था। तदनुसार, न्यायालय ने बर्खास्तगी के आदेश को रद्द कर दिया।

**निर्णय** न्यायालय ने माना कि विभागीय जाँच में भी बोलम नियम लागू होता है। जब तक यह साबित नहीं होता कि डॉक्टर के आचरण का स्तर स्वीकृत मानकों से नीचे गिर गया था, तब तक मनमाने प्रशासनिक दंड अवैध हैं।

"The skill of medical practitioners differs from doctor to doctor. ... Courts would indeed be slow in attributing negligence on the part of a doctor if he has performed his duties to the best of his ability and with due care and caution. Medical opinion may differ with regard to the course of action to be taken by a doctor treating a patient"

MADRAS HIGH COURT • 2009

स्रोत HCMA011401262006

## 22 Pramod Yashwantrao Gurjar v. State of Maharashtra

BOMBAY HIGH COURT • 2023-09-08 • APL/190/2012

यह मामला चिकित्सा लापरवाही (medical negligence) के आरोप से संबंधित है। एक प्रसूति विशेषज्ञ पर सीजेरियन सर्जरी के दौरान लापरवाही का आरोप लगाया गया था, जिसके कारण रोगी की अत्यधिक रक्तस्राव से मृत्यु हो गई। FIR में Section 304-A of the Indian Penal Code के तहत अपराध दर्ज किया गया था। न्यायालय ने Jacob Mathew v. State of Punjab जैसे निर्णयों का हवाला देते हुए कहा कि चिकित्सा लापरवाही के आपराधिक मामले में केवल लापरवाही पर्याप्त नहीं है, बल्कि 'gross negligence' (घोर लापरवाही) का होना आवश्यक है। न्यायालय ने पाया कि डॉक्टर ने मानक प्रोटोकॉल का पालन किया था और कोई भी विशेषज्ञ राय यह स्थापित नहीं कर सकी कि इलाज में कोई आपराधिक लापरवाही हुई थी। तदनुसार, न्यायालय ने FIR और आरोप-पत्र को रद्द कर दिया।

**निर्णय** बॉम्बे उच्च न्यायालय ने माना कि दीवानी और आपराधिक दायित्व के बीच का अंतर महत्वपूर्ण है। मात्र निर्णय की भूल या किसी दुर्घटना को आपराधिक दायित्व के लिए घोर उपेक्षा का प्रमाण नहीं माना जा सकता जब तक कि 'Mens Rea' और 'घोर लापरवाही' स्पष्ट न हो।

“The jurisprudential concept of negligence differs in civil and criminal law. What may be negligence in civil law may not necessarily be negligence in criminal law. For negligence to amount to an offence, the element of mens rea must be shown to exist. For an act to amount to criminal negligence, the degree of negligence should be much higher i.e. gross or of a very high degree.”

BOMBAY HIGH COURT • 2023

स्रोत HCBM040059502012

## 23 Dr. (Mrs.) Chanda Rani Akhouri & Ors. v. Dr. M.A. Methusethupathi & Ors.

SUPREME COURT OF INDIA • 2022-04-20 • 2022 INSC 447

यह मामला मेडिकल लापरवाही के आरोपों से संबंधित है। याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया था कि किडनी प्रत्यारोपण के बाद उनके परिजन की मृत्यु डॉक्टरों की लापरवाही और उपचार में कमी के कारण हुई। नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन ने शिकायत खारिज कर दी थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि एक चिकित्सक को केवल इसलिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता क्योंकि उपचार के दौरान परिणाम दुर्भाग्यपूर्ण रहे या कोई चिकित्सा संबंधी जोखिम उत्पन्न हुआ। यदि चिकित्सक ने अपनी विशेषज्ञता के अनुसार मानक प्रोटोकॉल का पालन किया है, तो उसे लापरवाही नहीं माना जा सकता। चूंकि याचिकाकर्ता यह साबित करने में विफल रहे कि चिकित्सा प्रोटोकॉल में कोई कमी थी, इसलिए कोर्ट ने अपील खारिज कर दी।

**निर्णय** न्यायालय ने स्पष्ट किया कि लापरवाही का दायरा असीमित नहीं है। डॉक्टरों से केवल अपनी सर्वश्रेष्ठ क्षमता का उपयोग करने की अपेक्षा की जाती है; मात्र मरीज की मृत्यु होने या विपरीत परिस्थितियों के उत्पन्न होने से लापरवाही की धारणा नहीं बनाई जा सकती।

“At the given time, medical practitioner would be liable only where his conduct fell below that of the standards of a reasonably competent practitioner in his field. ... The term “negligence” has no defined boundaries and if any medical negligence is there, whether it is pre or post-operative medical care or in the follow-up care... each case has to be examined on its own merits”

SUPREME COURT OF INDIA • 2022

स्रोत ESCR010004522022

## 24 Ramkanwari v. State of Rajasthan

HIGH COURT OF RAJASTHAN • 2024-07-25 • CRLMP/141/2024

यह मामला मेडिकल लापरवाही के आरोपों से संबंधित है। याचिकाकर्ता ने निचली अदालत के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें डॉक्टरों के खिलाफ Section 304A of the Indian Penal Code के तहत संज्ञान लेने वाले आदेश को रद्द कर दिया गया था। निचली अदालत ने पुलिस द्वारा पेश की गई negative Final Report (FR) पर विचार न करने और बिना न्यायिक विवेक के संज्ञान लेने के आधार पर प्राथमिक आदेश को रद्द किया था। उच्च न्यायालय ने माना कि जब कोई मजिस्ट्रेट negative FR से असहमति जताता है, तो उसे अपना न्यायिक विवेक (judicial mind) लागू करना चाहिए और पर्याप्त कारण दर्ज करने चाहिए। उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि चिकित्सा लापरवाही के मामलों में आपराधिक दायित्व के लिए उच्च स्तर की लापरवाही सिद्ध होनी चाहिए और न्यायालय ने निचली अदालत के आदेश को सही ठहराते हुए याचिका खारिज कर दी।

**निर्णय** राजस्थान उच्च न्यायालय ने माना कि यद्यपि लापरवाही करने वाले डॉक्टरों को दंडित किया जाना चाहिए, लेकिन यदि बिना उचित न्यायिक और विशेषज्ञ आधार के अंधाधुंध आपराधिक संज्ञान लिया गया, तो कोई भी डॉक्टर शांति और निडरता से अपना कार्य नहीं कर सकेगा।

“While doctors who cause death or agony due to medical negligence should certainly be penalized, it must also be remembered that like all professionals doctors too can make errors of judgment but if they are punished for this no doctor can practice his vocation with equanimity. Indiscriminate proceedings and decisions against doctors are counter productive and serve society no good.”

HIGH COURT OF RAJASTHAN • 2024

स्रोत RJHC010003762024

## 25 Jyotindra P. Pandit v. State of Gujarat

HIGH COURT OF GUJARAT • 2022-04-06 • SCR.A/1580/2014

यह मामला मेडिकल लापरवाही के आरोपों से संबंधित है, जहाँ शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि हिप सर्जरी के बाद उसे चलने में कठिनाई हुई। उसने संबंधित डॉक्टरों के खिलाफ Indian Penal Code की Section 338 के तहत आपराधिक शिकायत दर्ज कराई थी। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि Jacob Mathew v. State of Punjab में निर्धारित कानूनी सिद्धांतों के अनुसार, चिकित्सा पेशेवर पर आपराधिक लापरवाही का आरोप लगाने के लिए gross negligence और mens rea का होना आवश्यक है, जो यहाँ अनुपस्थित है। साथ ही, AIIMS की विशेषज्ञ रिपोर्ट ने भी उपचार प्रक्रिया को मानक बताया। न्यायालय ने पाया कि शिकायत में आपराधिक लापरवाही के आवश्यक तत्व सिद्ध नहीं होते हैं और याचिकाकर्ताओं के विरुद्ध कार्यवाही को रद्द कर दिया।

**निर्णय** न्यायालय ने स्पष्ट किया कि त्रुटिपूर्ण निर्णय, दुर्घटना या किसी बेहतर वैकल्पिक उपचार की उपस्थिति मात्र से चिकित्सकीय लापरवाही का निर्धारण नहीं होता। आपराधिक मुकदमों के लिए डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए तय दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन होना चाहिए।

“An error of judgement or a simple lack of care or an accident may not be proof of medical negligence if the doctor concerned follows a practice acceptable to medical profession as it existed at that time. It is also observed that merely because a better alternative was available... would not be a ground to allege negligence against the doctor.”

HIGH COURT OF GUJARAT • 2022

स्रोत GJHC240467652014

### अ स्वीकरण

यह मेमो Vitark AI द्वारा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध निर्णयों और उपयोगकर्ता के प्रश्न के आधार पर तैयार किया गया है। यह केवल रिसर्च सहायता के लिए है और कानूनी सलाह (legal advice) नहीं है। किसी भी filing, opinion, या correspondence में उपयोग करने से पहले सभी case citations, holdings और quotations को मूल निर्णय (source judgment) के विरुद्ध स्वतंत्र रूप से सत्यापित किया जाना चाहिए।